

नामों और हितों के बारे में कथन करने की अपेक्षा करने और उसे प्रकृत करने की शक्ति।

22. (1) कलक्टर ऐसे किसी व्यक्ति से यह भी अपेक्षा कर सकेगा कि वह एक कथन सह-स्वत्वधारी, उप-स्वत्वधारी, बंधकदार, अभिधारी के रूप में या अन्यथा उस भूमि में या उसके विचारी भाग में कोई हित रखने वाले ऐसे प्रत्येक अन्य व्यक्ति का नाम और ऐसे हित की प्रकृति और कथन की तारीख से पूर्ववर्ती पिछले तीन वर्षों में उस लेखे प्राप्त या प्राप्य भाटक और लाभ, यदि कोई हों और जहां तक साध्य हो, अंतर्विष्ट हों, वर्णित समय (ऐसा समय उस अपेक्षा की तारीख के पश्चात् के तीसरे दिन से अन्यून का नहीं होगा) और स्थान पर उससे करे या उसे परिदत्त करे।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिससे इस धारा के अधीन कथन करने और उसे परिदत्त करने की अपेक्षा की गई है, भारतीय दंड संहिता की धारा 175 और धारा 176 के अर्थात्गत ऐसा करने के लिए विधिक रूप से आवश्यक सामझा जाएगा।

1860 का 45

कलक्टर द्वारा जांच और भूमि अर्जन अधिनियम।

23. इस प्रकार नियत दिन को या ऐसे किसी अन्य दिन को, जिसके लिए जांच स्थगित की गई है, कलक्टर उन आक्षेपों के बारे में, यदि कोई हों, जो धारा 21 के अधीन दी गई सूचना के अनुरारण में हितबद्ध किसी व्यक्ति ने धारा 20 के अधीन किए गए मापमानों के संबंध में किए हैं और अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर भूमि के मूल्य और प्रतिकर तथा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का दावा करने वाले व्यक्तियों के संबंधित हितों के बारे में जांच करने के लिए अग्रसर होगा, और—

(क) भूमि के सही क्षेत्र के बारे में ;

(ख) धारा 31 के अधीन यथा पारित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम सहित धारा 27 के अधीन यथा अवधारित ऐसे प्रतिकर के बारे में, जो उसकी राय में भूमि के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए ; और

(ग) जिन व्यक्तियों के संबंध में यह ज्ञात है या विश्वास है कि वे भूमि में हितबद्ध हैं या उन व्यक्तियों में से उनमें जिनके संबंध में या जिनके दावों की उसे सूचना है, चाहे वे स्वयं उससे सम्बन्धित हुए हों या नहीं, उक्त प्रतिकर के प्रभाजन के बारे में,

सहस्ताक्षरित अधिनियम देगा।

कतिपय मामलों में 1894 के अधिनियम 1 के अधीन भूमि अर्जन की प्रक्रिया का व्यपगत हुआ समझा जाना।

24. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन आरंभ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाहियों के ऐसे किसी मामले में,—

1894 का 1

(क) जहां उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 11 के अधीन कोई अधिनियम नहीं किया गया है, वहां प्रतिकर का अवधारण किए जाने से संबंधित इस अधिनियम के सभी उपबंध लागू होंगे; या

(ख) जहां उक्त धारा 11 के अधीन कोई अधिनियम किया गया है, वहां ऐसी कार्यवाहियां उक्त भूमि अर्जन अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसी प्रकार जारी रहेंगी मानो उक्त अधिनियम निरसित नहीं किया गया है।

1894 का 1

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन आरंभ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाहियों की दशा में, जहां उक्त धारा 11 के अधीन अधिनियम इस अधिनियम के प्रारंभ के पांच वर्ष या उससे अधिक वर्ष पूर्व किया गया है, किंतु भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है या प्रतिकर का संदाय नहीं किया गया है, वहां उक्त कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे व्यपगत हो गई हैं और समुचित सरकार, यदि वह ऐसा विकल्प अपनाती है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे भूमि अर्जन की कार्यवाहियां नए सिरे से आरंभ करेगी ;

परन्तु जहां अधिनियम किया गया है और अधिकांश भूधृतियों की बाबत प्रतिकर फायदाग्राहियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, वहां अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सभी फायदाग्राही उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अधीन अर्जन के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर के हकदार होंगे।

अधिकांश भूधृतियों की बाबत प्रतिकर फायदाग्राहियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, वहां अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सभी फायदाग्राही उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अधीन अर्जन के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर के हकदार होंगे।